



प्रेषक,

रवीन्द्र प्रताप सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी,
(संलग्न विवरणानुसार)
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।

पशुधन अनुभाग-2

लखनऊ :: दिनांक-25 मार्च, 2026

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-15 के अधीन पशु स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार (जि.यो.) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, 30प्र0 के पत्र संख्या-328/सा.-1/एक्स-120(187)/जि.यो./2025-26, दिनांक-23.03.2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों में जिला योजनान्तर्गत स्वीकृत 192 पशु चिकित्सा अधिकारियों के पदों के सापेक्ष कार्यरत पशु चिकित्सा अधिकारियों के वेतनादि के भुगतान हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-06-पशु स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार (जिला योजना) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष निम्नलिखित मानक मदों में संलग्न विवरणानुसार ₹0-1.90 लाख (रूपये एक लाख नब्बे हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

मानक मद	स्वीकृत धनराशि (लाख में)
01-वेतन	0.810
03-मंहगाई भत्ता	1.087
55-मकान किराया भत्ता	0.003
योग-	1.900

(रूपये एक लाख नब्बे हजार मात्र)

- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय अनुमोदित कार्ययोजना एवं योजना हेतु निर्धारित गाइडलाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए व्यय विवरण सहित उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
- चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु जिला योजनाओं के जनपदवार/योजनावार परिव्यय निर्धारण के उपरान्त उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि को आवंटित परिव्यय में समायोजित कराते हुए यथावश्यकता सम्बन्धित जनपदों की जिला योजना समिति का कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त किये जाने का उत्तरदायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, 30प्र0 का होगा।
- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग उसी मद/प्रयोजन में किया जायेगा जिसके लिए धनराशि वस्तुतः स्वीकृत की जा रही है।
- निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग योजनान्तर्गत धनराशि व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त प्रयोजन हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
- निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग द्वारा संभावित व्यय को एक मुश्त आहरित न करके फेजिंग के अनुसार किया जाये।
- स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी बैंक/डाकघर में नहीं जमा किया जायेगा।
- विभागाध्यक्षों/अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाये।
- व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

9. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक-27.03.2025 एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय **लेखाशीर्षक: 2403001010600 (पशु स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार (जिला योजना))**

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	015	2403001010600 पशु स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार (जिला योजना)	01 वेतन	81,000 (रुपये इक्कासी हजार मात्र)
2	015	2403001010600 पशु स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार (जिला योजना)	03 मंहगाई भत्ता	1,08,700 (रुपये एक लाख आठ हजार सात सौ मात्र)
3	015	2403001010600 पशु स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार (जिला योजना)	55 मकान किराया भत्ता	300 (रुपये तीन सौ मात्र)
	कुल			1,90,000 (रुपये एक लाख नब्बे हजार मात्र)

महायोग	1,90,000 (रुपये एक लाख नब्बे हजार मात्र)
---------------	--

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक-27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।
संलग्नक - यथोक्त।

भवदीय,

(रवीन्द्र प्रताप सिंह)
संयुक्त सचिव।

पु0सं0-78/2026/670(1)/सैंतीस-2-2026/004-1(21)/12, तद्विनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
3. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
4. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/जिलाधिकारी।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु०-1/वित्त (आय-व्ययक) अनु०-1/नियोजन अनु०-3/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रवीन्द्र प्रताप सिंह)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

शासनादेश संख्या-78/2026/670/सैंतीस-2-2026/004-1(21)/12, दिनांक-25 मार्च, 2026 का
संलग्नक:-

पशु स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार (जिला योजना) (वर्ष 2025-26)

(धनराशि लाख में)

क्र0	जनपद का नाम	01-वेतन	03-मंहगाई भत्ता	55-मकान किराया भत्ता	योग
1	2	3	4	5	6
1	हरदोई	0.796	--	--	0.796
2	हमीरपुर	0.010	0.206	0.003	0.219
3	फर्रुखाबाद	--	0.354	--	0.354
4	बरेली	0.004	0.077	--	0.081
5	आजमगढ़	--	0.450	--	0.450
योग-		0.810	1.087	0.003	1.900

(रूपये एक लाख नब्बे हजार मात्र)

(रवीन्द्र प्रताप सिंह)
संयुक्त सचिव।

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।